भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)

प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के एकल वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
	31-03-2026	31-12-2025	31-03-2025	31-03-2026	31-03-2025
	(लेखापरीक्षित)	(पुन:परीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)	**10,443**	**10,396**	**9,810**	**41,330**	**37,831**
(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	9,726	9,263	8,670	36,818	33,042
(ख) निवेशों पर आय	389	545	628	2,290	2,449
(ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	328	588	512	2,222	2,340
(घ) अन्य	-	-	-	-	-
2. अन्य आय	180	145	169	610	680
3. कुल आय (1+2)	**10,623**	**10,541**	**9,979**	**41,940**	**38,511**
4. ब्याज व्यय	8,245	8,096	7,574	31,781	28,351
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	**584**	**355**	**455**	**1,619**	**1,430**
(i) कर्मचारी लागत	349	220	214	986	773
(ii) अन्य परिचालन व्यय	235	135	241	633	657
6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	**8,829**	**8,451**	**8,029**	**33,400**	**29,781**
7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	**1,794**	**2,090**	**1,950**	**8,540**	**8,730**
8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय [पुनरांकन पश्चात् निवल]	484	701	865	1,350	2,332
9. असाधारण मदें	-	-	-	-	-
10. सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) (7-8+9)	**1,311**	**1,389**	**1,085**	**7,190**	**6,398**
11 कर संबंधी व्यय [आस्थगित कर आस्ति/देयता समायोजन पश्चात् निवल]	317	324	281	1,697	1,587
12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात् निवल लाभ(+) / हानि(-) (10-11)	**994**	**1065**	**804**	**5,493**	**4,811**
13. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	0	-	-	-	-
14. अवधि का निवल लाभ (+) / हानि (–) (12-13)	**994**	**1065**	**804**	**5,493**	**4,811**
15. चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर)	621	569	569	621	569
16. आरक्षितियाँ पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर	43,812	40,006	35,508	43,812	35,508
17. विश्लेषणात्मक अनुपात					
(i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	27.57%	20.85%	20.85%	27.57%	20.85%
(ii) पूँजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III)	20.07%	17.54%	19.62%	20.07%	19.62%
(iii) प्रति शेयर आमदनी (मूल और अवमिश्रित) (ईपीएस)	17.47#	18.73#	14.14#	96.56	84.62
(iv) गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात					
क) गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि	684	625	183	684	183
ख) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.12	0.11	0.04	0.12	0.04
घ) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) आस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात्) (वार्षिकीकृत)	0.64%	0.70%	0.63%	0.92%	0.89%
(vi) निवल मालियत	38,973	36,847	32,330	38,973	32,330
(vii) बकाया मोचनीय अधिमान शेयर	-	-	-	-	-
(viii) पूंजी मोचन आरक्षिती	-	-	-	-	-
(ix) डिबेंचर मोचन आरक्षिती	-	-	-	-	-

(x) परिचालन सीमा	16.89%	19.82%	19.54%	20.36%	22.67%
(xi) निवल लाभ सीमा	9.36%	10.10%	8.06%	13.10%	12.49%
(xii) ऋण – ईक्विटी अनुपात *	9.28	9.71	9.81	9.28	9.81
(xiii) कुल आस्तियों की तुलना में कुल ऋण (%) *	57.17	57.97	55.83	57.17	55.83

अवार्षिकीकृत

* ऋण (जमा को छोड़कर) कुल उधार को दर्शाता है

<u>आस्तियों और देयताओं की विवरणी</u>:

(₹ करोड़)

विवरण	यथा 31-03-2026 [लेखापरीक्षित]	यथा 31-03-2025 [लेखापरीक्षित]
पूंजी और देयताएँ		
पूंजी	621	569
आरक्षितियाँ, आधिक्य और निधियाँ	44,155	35,839
जमा राशियाँ	2,05,037	1,95,600
उधारियाँ	3,61,560	3,17,264
अन्य देयताएँ और प्रावधान	21,005	18,967
आस्थगित कर देयता	-	-
कुल योग	**6,32,378**	**5,68,239**
आस्तियाँ		
नकद और बैंक में शेष राशियाँ	11,684	17,672
निवेश	31,759	46,938
ऋण और अग्रिम	5,79,755	4,96,282
अचल आस्तियाँ	287	280
अन्य आस्तियाँ	8,893	7,067
कुल योग	**6,32,378**	**5,68,239**

<u>नकदी प्रवाह विवरण :</u>

(₹ करोड़)

	विवरण	31.03.2026 लेखापरीक्षित	31.03.2025 लेखापरीक्षित
1.	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	लाभ व हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	7,190	6,398
	समायोजन के बारे में :		
	मूल्यह्रास	46	22
	निवेशों में निवल मूल्यह्रास के प्रति प्रावधान	-	-
	किए गए प्रावधान [पुनरांकन पश्चात् निवल]	1,701	2,507
	निवेशों की बिक्री पर लाभ (निवल)	(65)	(154)
		-	
	अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ		-
	निवेशों पर प्राप्त आय	(50)	(46)
	परिचालनों से व्युत्पन्न नकदी	**8,822**	**8,727**
	(परिचालनरत आस्तियों और देयताओं में बदलाव से पूर्व)		
	निम्नलिखित में बदलाव के लिए समायोजन :		
	चल आस्तियाँ	(1,588)	175
	चल देयताएँ	805	2,611
	विनिमय-पत्र	(1,976)	(742)
	ऋण व अग्रिम	(81,999)	(39,608)
	बॉण्ड, डिबेंचरों व अन्य उधारी विषयक निवल प्राप्तियाँ	44,295	46,719
	प्राप्त जमाराशियाँ	9,437	(10,784)
		(31,026)	**(1,629)**
	कर अदायगी	(1,934)	(2,328)

	परिचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	**(24,138)**	**4,770**
2.	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों की निवल (खरीद)/ बिक्री	(53)	(16)
	निवेशों का निवल (क्रय) / विक्रय / मोचन	25,606	(7,777)
	निवेशों पर प्राप्त आय	50	46
	निवेशपरक गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	**25,603**	**(7,747)**
3.	वित्तपोषी गतिविधों से नकद प्रवाह		
	शेयर पूंजी व शेयर प्रीमियम के जारीकरण से प्राप्तियाँ	3,000	-
	ईक्विटी शेयर पर लाभांश व लाभांश पर कर	(114)	(114)
	वित्तपोषी गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद	**2,886**	**(114)**
4.	**नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी)**	**4,351**	**(3,091)**
5.	**अवधि के आरंभ में नकद और नकद समतुल्य**	**522**	**3,613**
6.	**अवधि की समाप्ति पर नकद और नकद समतुल्य**	**4,873**	**522**
7.	**अवधि की समाप्ति पर नकद और नकद समतुल्य में निम्नलिखित शामिल हैं**		
	हाथ में नकद	0	0
	बैंक के चालू खाते में शेष राशि	426	237
	म्यूचुअल फंड	-	-
	जमाराशियाँ	4,447	285

<u>टिप्पणियाँ</u>:

1) बैंक इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उन्हीं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।
2) निदेशक मंडल द्वारा 14 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणाम अनुमोदित किए गए हैं।
3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के आंकड़े, पूरे वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और सम्बंधित वित्तवर्ष की तीसरी तिमाही के अंत तक प्रकाशित वर्ष से आज तक के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं।
4) मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम गैर-निष्पादित आस्तियों, मानक आस्तियों, अचल संपतियों पर मूल्यह्रास, छूट के परिशोधन, निवेश पर आय /बांड जारी करने से संबंधित खर्चों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर निवेश मूल्यह्रास के प्रावधानों पर विचार करने के उपरांत तैयार किए गए हैं। आयकर, आस्थगित कर और अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान जिनमें कर्मचारी लाभ शामिल हैं, आवश्यकतानुरूप और वर्षांत पर समायोजन के अधीन अनुमानित/आनुपातिक आधार पर किए गए हैं।
5) बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित त्वरित प्रावधान नीति के अनुसार, आईआरएसी मानदंडों के तहत न्यूनतम निर्धारित दरों से अधिक दरों पर मानक अग्रिमों से संबंधित एक अतिरिक्त प्रावधान किया है। तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च 2026 तक ₹4187.30 करोड़ रुपये के मानक अग्रिमों (पुनःसंरचित खातों सहित) पर अतिरिक्त प्रावधान अवधारित किए है।
6) 31 मार्च, 2026 तक आरबीआई के परिपत्र 6 अगस्त, 2020 (समाधान ढांचा 1.0) और 5 मई 2021 के (समाधान ढांचा 2.0) के अनुसार, कोविड-19 संबंधी दबाव के लिए आरबीआई समाधान ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वयन संबंधी समाधान योजनाओं के विवरण नीचे दिए गए है:

(₹ करोड़)

उधारकर्ता का स्वरूप	**समाधान योजना के कार्यान्वयन के उपरांत मानक रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - यथा 30 सितंबर, 2025 को समाप्त पिछली छमाही के अंत की स्थिति (ए)**	**इस (ए) में से ऋण का कुल हिस्सा जो छमाही के दौरान एनपीए हो गया**	**छमाही के दौरान इस (ए) में से बट्टे खाते में डाली गई धनराशि**	**छमाही के दौरान इस (ए) में से उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि $**	**समाधान योजना के कार्यान्वयन के उपरांत मानक रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - यथा 31 मार्च, 2026 तक की स्थिति**
वैयक्तिक ऋण	---	---	---	---	---
नैगम व्यक्ति/ संस्थाएं	4.70	0.00	0.00	(1.38)	3.32
इनमें से एमएसएमई उद्यम	4.70	0.00	0.00	(1.38)	3.32
अन्य	---	---	---	---	---
कुल योग	**4.70**	**0.00**	**0.00**	**(1.38)**	**3.32**

$ बकाया राशि में निवल विचलन को दर्शाता है।

7) आरबीआई के दिनांक 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र सं.आरबीआई/डीओआर/2025-26/334डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.253/21.04.018/2025-26 के अनुसरण में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित /अधिगृहीत ऋणों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

ऋणों का हस्तांतरण :

i) हस्तांतरित गैर-निष्पादित आस्तियों के विवरण:

(₹ करोड़)

विवरण	**आस्ति वसूली कंपनियों को**	**अनुमन्य हस्तांतरितियों को**	**अन्य हस्तांतरितियों को**
खातों की संख्या	1	-	-
अंतरित ऋणों का सकल मूलधन बकाया	5.44	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	लागू नहीं	-	-
अंतरित ऋणों का निवल बही-मूल्य (अंतरण के समय)	-	-	-
सकल प्रतिफल	3.43	-	-
पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-	-

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, प्रतिभूति-प्राप्तियों (एसआर) में कोई निवेश नहीं हुआ है। अवधारित सभी प्रतिभूति-प्राप्तियों के लिए प्रावधान किए जाते हैं और इसलिए निवल बही मूल्य शून्य है। दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान शून्य रहा।

ii बैंक ने किसी भी ऐसे ऋण का हस्तांतरण नहीं किया है, जो चूकग्रस्त / विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) नहीं है।

ऋण का अधिग्रहण :

iii बैंक ने किसी दबावग्रस्त ऋण का अधिग्रहण नहीं किया है।

iv समनुदेशन के माध्यम से 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, अधिगृहीत गैर-चूक संबंधी ऋणों के विवरण निम्नवत हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	**2025-26**	**2024-25**
अधिगृहित ऋणों की सकल राशि (₹ करोड़ में)	774.23	1,157.11
भारित औसत शेष परिपक्वता (माह सं.)	114.86	127.48
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारिता की अवधि (माह सं.)	10.39	10.43
प्रवर्तक द्वारा लाभप्रद आर्थिक हित का प्रतिधारण	15.59%	20%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	198.70%	216.75%
रेटेड ऋणों का रेटिंग-वार वितरण	लागू नहीं	लागू नहीं

8) आरबीआई के दिनांक 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र सं.आरबीआई/डीओआर/2025-26/334डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं. 253/21.04.018/2025-26 भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 के क्रम में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त अवधि के लिए परियोजना ऋणों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	**मद का विवरण**	**खातों की संख्या**	**कुल बकाया राशि (₹ करोड़)**
1	तिमाही के आरंभ में कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना-खाते।	1641	5,156.00
2	तिमाही के दौरान कार्यान्वयन के अंतर्गत मंजूर परियोजना-खाते।	1272	2,930.89
3	कार्यान्वयन के अंतर्गत ऐसे परियोजना-खाते, जिनमें तिमाही के दौरान डीसीसीओ हासिल हो गया है।	529	1,469.99
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना-खाते। (1+2-3)	2384	6,616.90
5	'4' में से - जिन खातों के संबंध में मूल/अभिवर्धित डीसीसीओ में अभिवर्धन संबंधी समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, लागू किया गया है।	567	2,174.20
5.1	'5' खातों में से - जिनमें समाधान योजना कार्यान्वित की गई है।	567	2,174.20
5.2	'5' खातों में से - जिनमें समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।	0	0
5.3	'5' खातों में से - जिनमें समाधान योजना सफल नहीं हो सकी है।	0	0
6	'5' में से - जिन खातों के संबंध में मूल/अभिवर्धित डीसीसीओ में अभिवर्धन संबंधी समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, परियोजना की व्याप्ति और स्वरूप में परिवर्तन के कारण लागू किया गया है।	13	32.07
7	'5' में से - जिन खातों के संबंध में मूल/अभिवर्धित डीसीसीओ में अभिवर्धन से जुड़ी लागत में वृद्धि के कारण, जैसा भी मामला हो, परियोजना का वित्तपोषण किया गया।	0	0
7.1	'7' में से जिन खातों में वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ मंजूर किया गया और लगातार नवीनीकृत किया गया ।	0	0

7.2	'7' में से जिन खातों में एसबीसीएफ की पूर्व-मंजूरी नहीं की गई अथवा उन्हें लगातार नवीनीकृत नहीं किया गया ।	0	0
8	'4' में से - जिन खातों के संबंध में मूल/अभिवर्धित डीसीसीओ में अभिवर्धन संबंधी शामिल न की गई समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, लागू किया गया है।	0	0
8.1	'8' में से - जिन खातों के संबंध में समाधान योजना कार्यान्वित की गई है।	0	0
8.2	'8' खातों में से - जिनमें समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।	0	0
8.3	'8' खातों में से - जिनमें समाधान योजना सफल नहीं हो सकी है।	0	0

9) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - ऋण जोखिम का हस्तांतरण और वितरण) निदेश, 2025 और भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) पर आरबीआई के दिनांक 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2025-26/334 डीओआर.एसीसी. आरईसी. सं. 253/21.04.018/2025-26 के संदर्भ में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त अवधि के लिए सह-ऋण व्यवस्था पर प्रकटीकरण संबंधी विवरण नीचे दिए गए हैं:

विवरण	वित्त वर्ष 2025-26
सीएलए की प्रमात्रा (₹ करोड़ में)	दिनांक 28 नवंबर, 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सीएलए की कोई व्यवस्था प्रभावी नहीं हुई।
ब्याज की भारित औसत दर	
लिया गया शुल्क /भुगतान किया गया शुल्क	
व्यापक क्षेत्र जिनमें सीएलए सृजित किया गया।	
सीएलए के तहत ऋणों का निष्पादन	
डिफ़ॉल्ट नुकसान की गारंटी	

10) आय में पूंजीभूत लाभ से संबंधित ₹57 करोड़ रुपये की पूर्वावधि-आय और एक निवेशिती कंपनी, जैसे फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय और शेयरों की सहवर्ती अदला-बदली के कारण माना गया (डीम्ड) लाभांश शामिल है।

11) नए श्रम संहिताओं के आधार पर, बैंक ने उपलब्ध जानकारी पर विचार करते हुए 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान और वर्षांत पर लाभ और हानि खाते में कर्मचारी लागत के तहत लगभग ₹ 2.50 करोड़ के आवश्यक वृद्धिशील प्रभाव को मान्यता प्रदान की है। बैंक नई श्रम संहिताओं पर केंद्रीय और राज्य सरकार के नियमों और सरकार के स्पष्टीकरण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को दृष्टिगत रख रहा है और आवश्यकतानुसार, इस दिशा में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर उचित लेखांकन प्रावधान करेगा।

12) निवल गैर निष्पादित आस्तियों के परिकलन के लिए चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है।

13) निवेशकों की शिकायत संबंधी स्थिति : यथा 01 अप्रैल, 2025 को निवेशकों की "शून्य" शिकायत निपटान के लिए लंबित थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निवेशकों से “10” शिकायतें प्राप्त हुईं और वर्ष के दौरान “10” शिकायतों का निपटान किया गया। तदनुसार 31 मार्च, 2026 तक "शून्य" शिकायत निपटान के लिए लंबित थी।

14) पिछली अवधि के आँकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

15) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफआई के लिए आईएनडी-एएस का कार्यान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।

16) दिनांक 29 जुलाई, 2025 के आरबीआई के परिपत्र सं. आरबीआई/डीओआर/2025-26/138 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.43/21.04.048/2025-26 - भारतीय रिज़र्व बैंक (एआईएफ में निवेश) निदेश, 2025 के अनुसरण में, बैंक ने प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन किया है और 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए ₹8.57 करोड़ का प्रावधान जारी रखा हैं।

17) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 सितंबर, 2023 के परिपत्र सं आरबीआई/डीओआर/2023-24/105 डीओआर.एफआईएन.आरईसी.40/01.02.000/2023-24 के अनुसार, एआईएफआई को 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही से बेसल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत प्रयोज्य स्तंभ 3 के प्रकटीकरण का उल्लेख आवश्यक है। तदनुसार, पिछली अवधि के समरूपी ब्यौरे प्रयोज्य नहीं हैं। बेसल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत स्तंभ 3 के प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट अर्थात् https://www.sidbi.in/listing-disclosure पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन प्रकटीकरणों की सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा समीक्षा नहीं की गई है।

18) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उपर्युक्त परिणाम लेखापरीक्षित हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

दिनांक : 14 मई, 2026 **[मनोज मित्तल]**

स्थान: नई दिल्ली अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक